सचिका स0–7/विविध–28–30/2023 – 210 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 14/08/2025

विषयः– राज्य के सभी सदर अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के उपयोग हेतु शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख–रखाव एवं सफाई कार्यो से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 (फरवरी 2025 से मार्च 2025 तक) की अवधि के लिए रू० 2,27,23,288/–(रूपये दो करोड़ सताईस लाख तेईस हजार दो सौ अठ्ठासी) एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक) की अवधि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा अनुमानित रू० 19,18,36,680/–(रूपये उन्नीस करोड़ अठारह लाख छत्तीस हजार छः सौ अस्सी) मात्र अर्थात् कुल रू० 21,45,59,968/–(रूपये इक्कीस करोड़ पैंतालिस लाख उनसठ हजार नौ सौ अडसठ) मात्र की माँग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय किस्त के रूप में राशि रू० 6,00,00,000/–(रूपये छः करोड़) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि विभागीय सकल्प सख्या–546(1), दिनाक–26 07 2023 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालो, अतिविशिष्ट अस्पतालो एव सदर अस्पतालो मे मरीजो एव उनके परिजनो के उपयोग हेतु उपलब्ध शौचालय की साफ–सफाई एव रख–रखाव मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण ढग से करने के उद्देश्य से इन चिकित्सा सस्थानों मे शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख–रखाव हेतु सुलभ इटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना को मनोनयन के आधार पर कार्य का आवंटन किया गया है एव विभागीय पत्र सख्या–184(7), दिनाक–31 07 2025 द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एव सुलभ इटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अवधि दो वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।

2– उक्त संकल्प के आलोक मे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एव सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसके आलोक मे राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्राक–555, दिनांक–25.04 2025 द्वारा राज्य के सभी सदर अस्पतालों मे मरीजो एव उनके परिजनो के उपयोग हेतु शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख–रखाव एव सफाई कार्यो से सबधित विपत्रो के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 (फरवरी 2025 से मार्च 2025 तक) की अवधि के लिए रू० 2,27,23,288/–(रूपये दो करोड सताईस लाख तेईस हजार दो सौ अठ्ठासी) एव वित्तीय वर्ष 2025–26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक) की अवधि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा अनुमानित रू० 19,18,36,680/–(रूपये उन्नीस करोड अठारह लाख छत्तीस हजार छः सौ अस्सी) मात्र अर्थात् कुल रू० 21,45,59,968/–(रूपये इक्कीस करोड पैतालिस लाख उनसठ हजार नौ सौ अडसठ) मात्र की मॉग के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2025–26 मे प्रथम किस्त के रूप मे रू० 2,00,00,000/–(रूपये दो करोड) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या–49(7), दिनांक–23 05 2025 द्वारा प्रदान की गयी है। पुन उक्त कार्यो से संबंधित विपत्रो के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 मे द्वितीय किस्त के रूप मे रू० 6,00,00,000/–(रूपये छः करोड) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

D:\Alpana ji\Rajyadesh\2025-26\Sulabh International.docx

3– इस राशि की निकासी माग सख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0019–रोगी कल्याण समितियो हेतु, विपत्र कोड–20–2210011100019 के अन्तर्गत सहायक अनुदान–गैर वेतन (31–06) मद मे पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

4– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA011 विपत्र कोड–00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID-------------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार यह सुनिश्चित हो लेगे कि दैनिक रख–रखाव व सफाई से सबधित कार्य गुणवत्तापूर्ण, विभागीय सकल्प व MoU मे अतर्निहित प्रावधानो के अनुरूप है। तदोपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्तीय नियमो का अनुपालन करते हुए राशि सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना को उपलब्ध करायेगे।

7– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र स0–8599, दिनाक–01 10 2015 के आलोक मे धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

8– यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र स0–2561 / वि0(2) दिनाक–17 04 1998, 2419 / वि0(2) दिनाक–05 04 2007, 8593 / वि0(2) दिनाक–27 11 2007, 96 / वि0(2) दिनाक–03 01 2008, 3923 / वि0(2) दिनाक–09 04 2010 एव 12888 / वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

9– प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

10– प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०–7 / विविध–28–30 / 2023 के पृष्ठ–62 / टि० पर प्राप्त है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक.–7 / विविध–28–30 / 2023 – 210 (7) / स्वा0,पटना, दिनाक – 14 / 08 / 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एव सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को अतिरिक्त प्रतियो के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

210 (7)
14/08/2025

14.8.25

सरकार के अपर सचिव

D:\Alpana ji\Rajayadesh\2025-26\Sulabh International.docx